रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D. (D.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 199] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 9, 1978/आश्विन 17, 1900
No. 199] NEW DELHI, MONDAY, OCOTBER 9, 1978/ASVINA 17, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं. 76-आई. टी. सी. (पी. एन.)/78

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1978

आयात व्यापार नियंत्रण

विषय :—1978-79 के लिए आयात नीति, बाढ़ से प्रभावित औद्योगिक एककों को विशेष आयात लाइसेंस प्रदान करना।

फाइल संख्या आई. पी. सी./63/55/78.—1978-79 के दौरान बाढ़ से प्रभावित औद्योगिक एककों को सहायता देने के उपाय के रूप में यह निश्चय किया गया है कि 1978-79 की बाढ़ से वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त/बर्बाद हुए इस तरह के माल के प्रतिस्थान के लिए कच्चे माल, संघटकों, उपभोज्य भण्डार, फालतू पुर्जों और पूंजीगत माल के आयात के लिए विशेष लाइसेंसों के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त किए जाएंगे।

2. आयात आवेदन-पत्र मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, नई दिल्ली को किए जाने चाहिए और वे महानिदेशक तकनीकी विकास, नई दिल्ली (श्री के. शंकर नारायणन, औद्योगिक सलाहकार, कमरा नं. 377, उद्योग भवन, नई दिल्ली के नाम में) के माध्यम से आने चाहिए।

3. (1) कच्चे माल, संघटकों, उपभोज्य भण्डार और फालतू पुर्जों तथा (2) पूंजीगत माल के आयात के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में और विधिवत् भेजे जाने चाहिए। आवेदन-पत्र के ऊपरी सिरे पर "बाढ़ पुनर्वास कार्यक्रम" शब्द स्पष्ट अक्षरों में लिखे होने चाहिए।

4. आवेदन-पत्र के साथ आवेदक की इस बारे में घोषणा होनी चाहिए कि आयात किए जाने वाले माल 1978-79 में बाढ़ द्वारा वास्तव में क्षतिग्रस्त हुए/बर्बाद हुए माल के प्रतिस्थापन के लिए चाहिए। आयात किए जाने वाले माल का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य देने के अलावा, आवेदक को अपने आवेदन-पत्र के साथ प्रतिस्थापन के लिए अपेक्षित आवेदित मदों की सूची (5 प्रतियों) के साथ यदि कोई हो, तो सरणीबद्ध मदों सहित भेजनी चाहिए।

5. ऐसे आवेदन-पत्रों को शीघ्र निपटाने के लिए विशेष प्रबन्ध किए गए हैं। जो मदें देशी स्रोतों से उपलब्ध नहीं होंगी उनके लिए आयात लाइसेंस इन आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए विशेष रूप से गठित अन्तर-मंत्रालय ग्रुप की सिफारिश पर, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा जारी किए जाएंगे।

पी. के. कौल, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE NO. 76-ITC(PN)/78

New Delhi, the 9th October, 1978

IMPORT TRADE CONTROL

Subject : Import Policy, 1978-79—Grant of Special Import Licences to industrial units affected by floods.

F. No. IPC/63/55/78.—As measure of assistance to the industrial units affected by floods during 1978-79, it has been decided to entertain applications for Special Licences

for import of raw materials, components, consumable stores, spares and capital goods, in replacement of such goods actually damaged/destroyed by the floods in 1978-79.

2. Import applications should be made to Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi and routed through the Directorate General Technical Development, Udyog Bhavan, New Delhi (by name to Shri K. Shankaranarayanan, Industrial Adviser, Room No. 377, Udyog Bhavan, New Delhi).

3. Separate applications should be made for import of (i) raw materials, components, consumable stores and spares, and (ii) capital goods, in the prescribed form and manner. At the top of the application, the words "Flood Rehabilitation Programme" should be written in bold letters.

4. The application should also be accompanied by a declaration from the applicant to the effect that the goods sought to be imported are required in replacement of those actually damaged/destroyed by the floods in 1978-79. Besides giving c.i.f. value of the goods to be imported, the applicant should also furnish along with his application, a list (5 copies) of the items applied for, including canalised items, if any, required to be replaced.

5. Special arrangements have been made for speedy clearance of such applications. Import licences will be issued by the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi, for items not available from indigenous sources, on the recommendations of an Inter-Ministerial Group specially constituted to consider these applications.

P. K. KAUL, Additional Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978